

डिक्री व मुकदमे ईलदाई

अ. आदेश 20 नियम 8-7 का प्रयोग करके

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सगरिया

वादापत्र अन्तर्गत धारा :- 53 अन्तर्गत

प्रकरण संख्या:- 31/2024

जिसमें श्री हतराम जाति जाट निवासी सगरिया तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ़ राज

वर्ष

बनाम

सदरती पत्नी श्री सरजीत सिंह जाति जाट निवासी किशनपुर उमगाछ तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ़
सदरती श्री भागीरथ जाति जाट निवासी किशनपुर उमगाछ तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ़
गजल पुत्र श्री सरजीत सिंह जाति जाट निवासी किशनपुर उमगाछ तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ़
वेजयल पुत्र श्री सरजीत सिंह जाति जाट निवासी किशनपुर उमगाछ तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ़
चंडी लक्ष्मी बैंक हनुमानगढ़ टा जरिये शाख प्रबन्धक
एच.मैहानल बैंक शाखा खैरवाला जरिये शाख प्रबन्धक
वैशाली नंदार राजस्व सगरिया।

प्रतिवादी

मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सगरिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया
हमारे बहाजरी श्री अनिल शर्मा प्रथम वकील वहीच में जिनके मुझे श्री प्रेम चंद उर्फ
संख्या 1 ता 4 व श्री खुशप्रोत सिंह सन्तु प्रतिवादी संख्या 5 में जिनके मुकदमा में हाकर मुझ पेट
है व निम्नानुसार डिक्री दी जाती है- वादीया चन्द्रकला पत्नी श्री हतराम जाति जाट निवासी सगरिया
सगरिया का खाता निम्नानुसार अलग कायम कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किए जान के आदेश देता
है-

चक्र 13 पीटीपी खाता संख्या 31/33 जनाबन्दी संख्या 2073-2078	जिला नम्बर
खतर नम्बर 123/147	मुख्या नम्बर 34
4.7.14.17.24/0.253 है प्रमहरी कुल 1.265 है नहरी कुल मुझे	

अतः उक्त अराजी पर बैंक ऋण पथावत रहेगा। खर्चा प्रकृतात् अयना-अयन वहन करे।
नेत्र नल दुब्लिक निल बबल निल खर्चा मुकदमे के नए हुए व
वह बीसवी सतना आज की तारीख वसूलावती तक जद करे।
बतब में वसूलावत एवं मुहर अयानत से आज दिनांक 18.11.2024 को जारी किया गया।

जय कोशिक
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी सगरिया
जिला हनुमानगढ़

